प्रेषक

उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

राजकीय महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य।

यादी क्रमांक 1/56-2000 ताम(2)
दिनांक, चण्डीगढ़ 27.2.2006.

विषय:- **Right to Information Act, 2005.**

उपरोक्त विषय पर आपको सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की एक प्रति भेजी जाती है तथा अनुरोध किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में वरिष्ठ कार्यकारी प्राध्यापक को Assistant Public Information Officer नियुक्त करने का कष्ट करें। महाविद्यालय के प्राचार्य 'First Appellate Authoirty' होंगे। कृपया इस विषय पर शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही करें।

संलग्न/सूचना अधिकार अधिनियम
2005 की प्रति

27.2.06

उप निदेशक महाविद्यालय -I
कृते उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़

प्रेषक

उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा

सेवा में

राज्य के सभी
राजकीय सहायता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य ।

यादी क्रमांक 3/07--2006-उस(2)
दिनांक चण्डीगढ़ 10-05-2007.

विषय: जन-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जन-सूचना अधिकारी तथा फर्स्ट अपीलेट अथारिटी की नियुक्ति बारे ।

उपर्युक्त विषय पर इस निदेशालय के यादी क्रमांक 1/21--2007-उस-2, दिनांक 24-04-2007 के संदर्भ में ।

2. संदर्भित पत्र अन्तर्गत आपको निर्देश दिया गया था कि आप अपने महाविद्यालय के इस आशय हेतु जन-सूचना अधिकारी होंगे तथा महाविद्यालय की प्रबन्धक समिति के प्रबन्धक/प्रधान/अध्यक्ष फर्स्ट अपीलेट अथारिटी होंगे । इस संबंध में आप द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी करके अनुपालना रिपोर्ट इस निदेशालय को 15 दिन के भीतर भेजने हेतु भी लिखा गया था, लेकिन आप द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । तदनुसार आपको पुनः निर्देश दिया जाता है कि वांछित अधिसूचना तुरन्त जारी करके तथा **जन-सूचना अधिकारी एवं फर्स्ट अपीलेट अथारिटी के नाम महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर डिसप्ले करके अनुपालना रिपोर्ट इस निदेशालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजें** । ऐसा न करने की स्थिति में, आपके महाविद्यालय की ग्रान्ट-इन-एड भी रोकी जा सकती है, इसलिए इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन,
कृते: उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक सम,
दिनांक चण्डीगढ़ 10-05-2007.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:—

1. पी०ए०/एच०ई०सी० ।
2. पी०ए०/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन ।
3. सहायक निदेशक महाविद्यालय-4.
4 सहायक निदेशक महाविद्यालय-2.

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन,
कृते: उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।